न्यायालय सहायक कलक्टर, फलोदी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लूणाराम पुत्र खुमाणाराम 2. अमलखराम पुत्र खुमाणाराम जाति मेघवाल निवासी होपारडी तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)		1. गुलाबाराम पुत्र गोकलराम उर्फ पेमाराम 2. पूनाराम पुत्र गोकलराम उर्फ पेमाराम 3. खेमूराम पुत्र गोकलराम उर्फ पेमाराम सभी जाति मेघवाल निवासी उदाणीयों की सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर 4. तहसीलदार, फलोदी

दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 330/2012

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री गोपाल व्यास एवं कंवरलाल मेघवाल अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री भगवतीलाल पालीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित

दिनांक :– 4/11/22

निर्णय

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 21.13 बीघा ग्राम उदाणीयों की ढाणी सांवरीज तहसील फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता खुमाणाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के दादा मदाराम के नाम की थी जिनका वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। उक्त भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एंव प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि बंट में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 664 भरते समय भूल से वादीगण के पिता का नाम खुमाणराम पुत्र देवाराम का नाम लिपिकिय त्रुटी से दर्ज करने से छोड दिया जो आज दिन तक निरतर चला आ रहा है जबकि मौके पर वादीगण का 1/2 हिस्सा भूमि पर आज दिन तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। इसलिये वादीगण उक्त नामांतरकरण सख्य 664 को अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य घोषित करवाकर उक्त खसरान् की भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम, की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की हकदार है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता भगवतीलाल पालीवाल ने अपना वकालातनामा पेश किया। दौराने वाद प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्तार भगवतीलाल पालीवाल ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पेश कर वादी का वाद गलत एंव मिथ्या कथनों पर आधारित होने से वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जाकर प्रतिवादीगण के कथनो का खण्डन किया गया। पत्रावली साक्ष्य में रखी गई। वादी की ओर से वादी स्वयं, और प्रतिवादीगण की ओर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे बताया कि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 21.13 बीघा ग्राम उदाणीयों की ढाणी सांवरीज तहसील फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता खुमाणाराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के दादा मदाराम के नाम की थी जिनका वंश वृक्ष वाद पत्र में अंकित है। उक्त भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एंव प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि बंट में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 664 भरते समय भूल से वादीगण के पिता का नाम खुमाणराम पुत्र देवाराम का नाम लिपिकिय त्रुटी से दर्ज करने से छोड दिया जो आज दिन तक निरतर चला आ रहा है जबकि मौके पर वादीगण का 1/2 हिस्सा भूमि पर आज दिन तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। इसलिये वादीगण उक्त नामांतरकरण सख्या 664 को अपने खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य घोषित करवाकर उक्त खसरान् की भूमि मे 1/2 हिस्सा वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम, की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की हकदार है। जो तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य से साबित है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में वादी के वाद का माफिक इस्तदुआ निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य जमाबंदी, नामांतरकरण संख्या 664, वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 1 की साक्ष्य इत्यादि का अवलोकन किया जिससे साबित है उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में पूर्व में वादीगण के पिता खुमाणाराम एंव प्रतिवादीगण के दादा मदाराम के नाम बहिस्सा बराबर बराबर अनुसार दर्ज थी। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता पेमाराम का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 664

करते समय वादीगण का नाम दर्ज करने से छोड दिया गया जो तथ्य पत्रावाली पर मौजुद साक्ष्य एंव प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य से साबित है तथा प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के वाद का माफिक इस्तदुआ निर्णय किये जाने का निवेदन किया है। इसलिये उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि वादीगण को सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम उदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी के खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 21.13 बीघा भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। तहसीलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/11/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फलौद

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर. ए. एस.)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लूणाराम पुत्र खुमाणाराम
2. अमलखराम पुत्र खुमाणाराम
जाति मेघवाल निवासी होपारडी
तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

1. गुलाबाराम पुत्र गोकलराम उर्फ पेमाराम
2. पूनाराम पुत्र गोकलराम उर्फ पेमाराम
3. खेमूराम पुत्र गोकलराम उर्फ पेमाराम
सभी जाति मेघवाल निवासी उदाणीयों की सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर
4. तहसीलदार, फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 300/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्रीगोपाल व्यास अधिवक्ता मुदई व श्री भगवतीलाल पालीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम उदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सांवरीज तहसील फलोदी के खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 21.13 बीघा भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे।

मुतालिक बाबत
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व भाहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4 माह 11 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा सहायक कलक्टर फलोदी (जोधपुर)

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–